27

न्यायालयः- राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2701-एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.07.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101/2013-14/अपील

1. कल्याण
2. रामस्वरूप } पुत्रगण अंगद कुशवाह
3. लालपति

निवासी ग्राम मुरवई, तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.

---आवेदकगण

विरुद्ध

1. सोनेराम
2. दीनदयाल } पुत्रगण झींगुरिया
3. लालपति
4. दुलारे पुत्र मठल्लू
5. हल्के उर्फ विश्राम पुत्र परिमाल
6. उम्मेद
7. मुंशी } पुत्रगण देवीराम
8. मुरारी
9. रामहेत
10. जीवनलाल पुत्र घंतु
11. सियाराम पुत्र भगवालाल
12. कोकसिंह पुत्र भगवालाल

समस्त जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम खरीपुरा तहसील सगबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.

---अनावेदकगण

(आवेदकगण अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़)
(अनावेदकगण की ओर से एक पक्षीय)

आदेश

(आज दिनांक...31.1.2017...को पारित)

म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात संहिता उल्लेखित) की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 101/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, तहसील सबलगढ़ के ग्राम बकसपुर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि रकवा 108 बीघा जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी लोटू, देवीराम, झींगुरिया, परिमाल, जीवनलाल, भगवानलाल, जयसिंह एवं जनवेद समान भाग के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी थे। जिनमें से कुछ सहभागीदारो की मृत्यु हो चुकी है, तथा वरिसाना नामान्तरण हो चुके है, एवं कुछ सहखातेदारों ने अपनी जमीन बेच दी है। उनका विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण हो गया है। घरू बटबारे अनुसार मौके पर सभी व्यक्ति काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। सहभागीदार काशीराम एवं हरिविलास पुत्रगण लोटू का हिस्सा संपूर्ण भूमि भाग 1/8 में नुमाईशी तौर पर नाम चला आ रहा था, किन्तु वादित भूमि के असल भूमिस्वामी कब्जा अनुसार अनावेदकगण थे। आवेदकगण ने विधिवत रूप से तहसील न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के बटबारा हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अधीन प्रस्तुत किया। जो तहसीलदार न्यायालय ने प्रकरण कमांक 12/2003-04/अ-27 पर कायम किया जाकर समस्त प्रक्रियाओ का पालन करते हुये आदेश दिनांक 11.06.2004 से सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया है। आवेदकगण ने अपनी भूमि पर कुंआ खुदवाया है, तथा आज भी काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। अनावेदकगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही है। फिर भी आवेदकगण के स्वत्वो को हानि पहुचाने की दृष्टि से लगभग 08 वर्ष पश्चात एक अवधि बाहय अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के प्रकरण कमांक 12/2012-13/अपील के

समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ तहसील न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई। यह अपील प्रथम दृष्टियां ही निरस्तनीय थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ ने उक्त अपील को आदेश दिनांक 19.03.2014 स्वीकार किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटबारा आदेश दिनांक 11.06.2004 कानून व नियमो के विपरीत निरस्त कर दिया। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण कमांक 101/2013-14/अपील पर दर्ज किया जाकर। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 निरस्त कर दी गई, तथा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया। जिसके विरुद्ध निगरानी मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जा कर अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदकगण सुचना उपरान्त अनुपस्थित रहे है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय किया गया है।

4. प्रकरण में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क प्राय उन्हीं बिन्दुओ के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। मौखिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि, प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व भूमि स्वामी काशीराम व हरविलास पुत्रगण लोटू कुशवाह से विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण समान भाग के सहस्वामी हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा बटवारा किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् हिस्सा एवं कब्जा के मान से सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है। उक्त बटवारा आदेश को अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के न्यायालय में लगभग 8 वर्ष के बाद अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की गई।

अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का निराकरण नहीं किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 11.06.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपी भी प्रस्तुत नहीं की गई। अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे अप्रचलन योग्य अपील को अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा स्वीकार किये जाने में अवैधानिक एवं गम्भीर त्रुटि की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश विधि सम्वत न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 एवं द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101/2013–14/अपील मे पारित आदेश दिनांक निरस्त करते हुये प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. प्रकरण मे आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्र का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण मे अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है। कि विचारण न्यायालय तहसीलदार सबलगढ़ के प्रकरण कमांक 12/2003–04/अ–27 पर विधिवत प्रकरण पंजीवद्ध किया है। अनावेदकगण को आहुत किया गया है। तथा सभी सह भागीदारो की सहमति एवं कब्जे को ध्यान मे रखते हुये विधिवत बटबारा नियमो का पालन करते हुये आदेश दिनांक 11.06.2004 के द्वारा बटबारा आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनु.वि.अधि. सबलगढ़ के समक्ष अपील अवधि बाहय प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2004 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नही की गई है। उक्त अपील का निराकरण गुणदोषो के आधार पर पारित किये जाने से पूर्व अवधि विधान की धारा 5 का

निराकरण किया जाना न्यायोचित था। फिर भी उक्त अपील का निराकरण आदेश दिनांक 19.03.2014 से स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 101/2013–14/अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को आदेश दिनांक 21.07.2016 से निरस्त करने में कानूनी भूल की है। जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। एवं उसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 101/2013–14 अपील मे पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 101/2013–14/अपील मे पारित आदेश विधिसम्मत होने से निरस्त किये जाते है। तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12/2003–04/अ–27 मे पारित बटबरा दिनांक 11.06.2004 पारित आदेश यथावत रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण अंक से कम किया जाकार दाखिल रिकार्ड किया जावे।

सदस्य